वित्तीय स्वीकृति

संख्या-534/XVII-1/2009-01(07)/2007

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–1 देहरादून दिनांक-24 जुलाई, 2009

विषय अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2008 के प्राविधानों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय के पत्रांक 14020/10/2008–एस0 जी0–1 दिनांक 27.03.2009 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2008 के प्राविधानों हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में रुपये 20,00,000/– (रुपये बीस लाख मात्र) की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

तत्क्रम में कृपया मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2008 में निहित प्राविधानों के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु अपने पत्र संख्या 1107 दिनांक 02.12.2008 द्वारा दिये गये प्रस्ताव में गठित समितियों एवं प्रचार–प्रसार के लिए रूपये 20,00,000/– लाख की धनराशि निम्नलिखि शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आप के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. उक्त धनराशि की स्वीकृत इस आशय से दी गयी है। कि धनराशि से सम्बन्धित गांव/अधिवासों में विशुद्ध रूप से अवस्थापना विकास सम्बन्धी गतिविधियां भारत सरकार, वन्य एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा जारी किए गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत संचालित की जाए।
2. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव ग्रामवार, गतिविधिवार, वन्य एवं पर्यावरण विभाग, भारत सरकार के माध्यम जनजाति कार्य मंत्रालय को औपचारिक सहमति हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव की प्रगति एवं क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी तथा त्रैमासिक वित्तीय–भौतिक रिपोर्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सकरकार को उपलब्ध कराई जाएगी।
4. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक वर्ष के भीतर भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. आय–व्ययक द्वारा व्यस्थित उक्त धनराशि में से केवल उक्तानुसार स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

6. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अनुसार शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

7. उक्त धनराशि का मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुनन्धता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नही किया जाएगा। व्यय उन्ही मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृति किया जा रहा है।

8. अप्रयुक्त धनराशि का वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि उपयोगिता प्रमाणपत्र समायान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

10. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।

11. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों तथा मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-31 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,-02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण,-800-अन्य व्यय,-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना,-0101- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता की मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या 265(P)/XXVII(3)/2009 दिनांक 17 जुलाई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किय जा रहे है।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: संख्या–539/XVII-1/2009-01(07)/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
10. समस्त समाज कल्याण अधिकारी उत्तराखण्ड।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून।
12. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।